<u>न्यायालयः–मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला सिंगरौली, मुख्यालय–वैढन (म.प्र.)</u>

<u>प्रकरण क्रमांक :–960 / 2026</u>
<u>संस्थित दिनांक–07.08.2026</u>
<u>फाईलिंग नम्बर–3319 / 2026</u>
<u>सी.एन.आर.–एमपी–66010040562026</u>

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र वैढ़न

...............अभियोगी

// <u>बनाम</u> //

विकेश कुमार वर्मा पिता कपिल शर्मा,उम्र 27 वर्ष,
निवासी ग्राम हर्रई पश्चिम, थाना वैढ़न, जिला सिंगरौली, म.प्र.।

...............अभियुक्त

<u>// उपार्पण आदेश //</u>

(आज दिनांक 11.08.2026 को उपार्पित)

1. अभियुक्त के विरूद्ध थाना–वैढ़न जिला सिंगरौली म.प्र. के द्वारा अपराध क्रमांक 754 / 2026 में बी.एन.एस. की धारा 69 के अंतर्गत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. अभियोग पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का परिशीलन किया गया। संपूर्ण अभिलेख के अवलोकन से अभियुक्त के विरूद्ध बी.एन.एस. की धारा 69 के अंतर्गत अपराध गठित होने के प्रथम दृष्टया आधार विद्यमान होना दर्शित है।

3. बी.एन.एस. की धारा 69 के अंतर्गत विचारण की अनन्यतः क्षेत्राधिकारिता माननीय सत्र न्यायालय को है। अतः इस प्रकरण को धारा 232 भा.न.सु.सं. 2023 के प्रावधानों के अंतर्गत माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय सिंगरौली म.प्र. को सादर उपार्पित किया जाता है।

4. अभियुक्त जमानत पर स्वतंत्र है। अभियुक्त के अधिवक्ता को आगामी नियत पेशी दिनांक 26.08.2026 को प्रात 11:00 बजे माननीय सत्र न्यायालय के समक्ष

उपस्थित रहने हेतु सूचित किया गया है।

5. जप्तशुदा सम्पत्ति की एफएसएल रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, किन्तु जप्तशुदा मुद्देमाल एफएसएल से प्राप्त न होने से पेश नही की गई है।

6. प्रकरण के उपार्पण की सूचना लोक अभियोजक एवं मालखाना नाजिर सिंगरौली को दी जाये।

उपर्पाण आदेश खुले न्यायालय में टंकित एवं हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया।

शिवचरण पटेल
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला सिंगरौली, मुख्य0 वैढन

शिवचरण पटेल
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला सिंगरौली, मुख्या0 वैढन

SHIV CHARAN PATEL

Digitally signed by SHIV CHARAN PATEL
Date: 2026.08.11 18:27:24 +0530